प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

5Days Course on “Newly Enacted Major Criminal Acts” (BNS, BNSS & BSA) -21

दिनांक 27-01-2025 से 31-01-2025

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 27-01-2025 से 31-05-2025 तक Course on “Newly Enacted Major Criminal Acts” (BNS, BNSS & BSA) विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चुअल क्लास रूम में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 33 प्रशिक्षणार्थी जिसमें 12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 10 उप अधीक्षक, 01 कम्पनी कमाण्डर, 08 पुलिस निरीक्षक व 02 उप निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन प्रतिभागियों का कोर्स में पंजीकरण करवाया गया। कोर्स का शुभारम्भ श्री दीपक भार्गव IPS, उपमहानिरीक्षक आर. पी. ए., जयपुर एवं डायरेक्टर इंटेलिजेन्स ट्रेनिग अकादमी, जयपुर एवं सहायक कोर्स डायरेक्टर द्वारा कॉन्फ्रेस हॉल न-01 में करवाया गया। श्रीमति सुनीता मीणा, सहायक निदेशक (इंडोर) द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। उसके बाद कोर्स के प्रशिक्षणार्थियों का टी ब्रेक किया गया।

प्रथम दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री दीपक यादव, पुलिस निरीक्षक आरपीए जयपुर ने भारतीय न्याय सहिंता 2023, परिचय परिभाषा, नए कानून जोड़ी गई, धाराएं, दंड पर अपने व्याख्यान दिया।

द्वितीय दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री सुनील वशिष्ठ एडवोकेट. राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 परिचय और एक अवलोकन, परिवर्तन (परिवर्धन, विलोपन, विस्तृत अध्ययन) पर अपने व्याख्यान दिया एवं तृतीय सत्र में श्री उत्कर्ष द्विवेदी, अधिवक्ता राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर ने नए आपराधिक कानूनों के संबंध में, साइबर अपराध में नई चुनौतियाँ पर विस्तार से बताया।

तृतीय दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आर.एस. शर्मा, अतिरिक्त. निदेशक एफएसएल (सेवानिवृत्त) ने फोरेंसिक विज्ञान- नए आपराधिक कानूनों में महत्व, समय की आवश्यकता और चुनौतियाँ पर विस्तार चर्चा की गई। तृतीय सत्र में श्री रमेश चौधरी पीओ, आरपीए, जयपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता- एक परिचय, परिभाषाएँ, जोड़े गए और निरस्त किए गए अनुभाग और बीएनएसएस और सीआरपीसी अध्याय वार अध्ययन के बीच तुलना। (अध्याय 1 से 19) पर विस्तार से बताया।

चतुर्थ दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री रमेश चौधरी पीओ, आरपीए, जयपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता – “परिचय, परिभाषाएँ, जोड़ी गईं धाराएँ और निरस्त की गईं धाराएँ विषय”, **एवं** बीएनएसएस और सीआरपीसी के तुलनात्मक अध्ययन विषय पर व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री नितिन शर्मा, प्रमुख फोरेंसिक विश्लेषक ने साइबर अपराध जांच पर विस्तार से चर्चा की गई।

पंचम दिन के प्रथम सत्र में श्रीमती सुशीला यादव, एडिशनल एसपी आरपीए जयपुर द्वारा भारतीय न्याय सहिंता 2023, परिचय परिभाषा, नए कानून जोड़ी गई, धाराएं, दंड पर अपने व्याख्यान दिया। उसके बाद प्रतिभागियों से पांच दिवसीय प्रशिक्षण पाठयक्रम की परीक्षा एवं फीड बैक लिया गया।

कोर्स के समापन सत्र में मुख्य अतिथि डॉ. भूपेन्द्र यादव, डिप्टी डायरेक्टर आरपीए जयपुर पधारे एवं कोर्स से सम्बन्धित चर्चा की गई। प्रशिक्षणार्थियों को डिजीटल प्रमाण प्रदान किये गये। समापन सत्र के अन्त में श्रीमती सुशीला यादव, एडिशनल एसपी आरपीए जयपुर/ कोर्स के नॉडल अधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

कोर्स निदेशक